4333

MADHEPURA COLLEGE, MADHEPURA

Kaushalya Gram, Madhepura- 852113 (Bihar)

B.N. Mandal University, Lalu Nagar, Madhepura (Bihar)

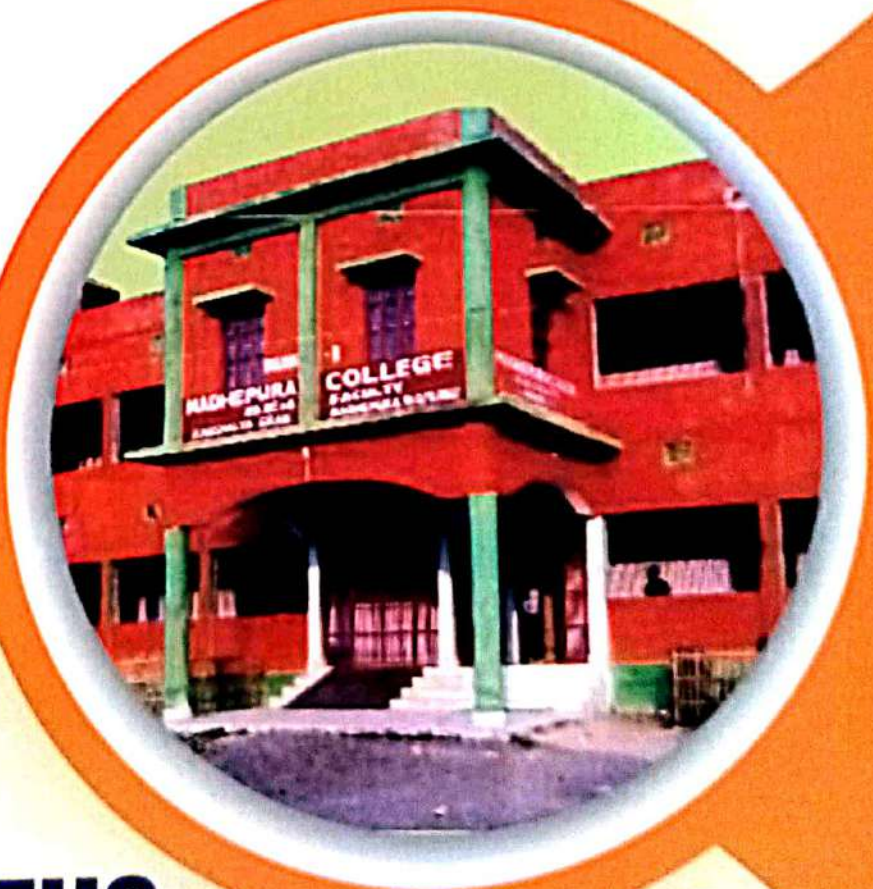

PROSPECTUS

PROSPECTUS

प्रधानाचार्य की कलम से...

'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् विद्या वह है जो मुक्ति देती है। उन सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बंधनों से जो हमारे लिए कष्टप्रद होता है। आज के युग में तो यह लोकतंत्र का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है। साथ ही 'विद्या ददाति विनयम्' अर्थात् विद्या विनय देती है। समाज की समरसता और शांतिपूर्ण सुव्यवस्था के लिए विनम्रता अनिवार्य है। मधेपुरा महाविद्यालय, मधेपुरा की स्थापना इन्ही मानवतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए की गयी है। खासकर कोषी क्षेत्र के विशम भौगोलिक परिवेश में अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर लोंगो की स्थिति बेहतर करने की चाह एवं जिम्मेदारी महाविद्यालय स्थापना का प्रेरक तत्व है।

विनाशकारी नदियों में कोशी पूरे उत्तर भारत में मशहूर है। इसकी उच्छृंखल धारा यहाँ के जन जीवन को शुरू से ही अस्त–व्यस्त करती रही है। श्रम संचित पूँजी हरेक साल कोशी की भेंट चढ़ती रही। कमी भी यहाँ के सामान्य लोगों के पास इतना समय और सम्पति नहीं हो पायी कि मूलभूत आवश्यकता से निश्चित होकर शिक्षा और कला पर खर्च कर सके। फलतः यह इलाका सदियों से अशिक्षा और गरीबी का शिकार रहा।

यद्यपि इन्ही परिस्थितियों के बीच यहाँ कई महान् पुरूष उत्पन्न हुए। रामायण कालीन महान् विद्यानुरागी श्रृंगी ऋषि से लेकर भू0 ना0 मंडल, बी0 पी0 मंडल और कीर्त्ति नारायण मंडल आदि जैसे महामानवों ने विश्वास जगाया कि मधेपुरा जिला एक भौगोलिक एवं प्रशासनिक खंड का नाम नहीं, बल्कि एक जाग्रत एवं चेतना सम्पन्न लोंगो की स्थली भी है। जरूरत है यहाँ की प्रतिभा को विकास के लिए उचित व्यवस्था और अवसर देने की।

वक्त बदला, बैराज बाँध बना, धारा खास क्षेत्रों से गुजरी लेकिन रेतिली जमीन और सदियों की पीड़ित मानसिकता विरासत में नयी पीढ़ी को मिली। इस परिस्थिति में लोंगो को नयी दुनियाँ, जहाँ लोग चाँद के बाद मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, से जोड़ना उनकी स्थिति को बेहतर बनाना समाज के चिन्तकों के सामने एक चुनौती थी। इसी कोशी अंचल के महान् कथाशिल्पी फनीश्वर नाथ रेणु ने कहा था– इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण गरीबी और अशिक्षा है। धनी तो सीधे नहीं बनाया जा सकता लेकिन शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षित होने पर गरीबी दूर करने में स्वतः समर्थ हो जाएँगे।

उच्च शिक्षा परिस्थिति परिवेश को अनुकुल बनाने की दृष्टि देती है। इसी महान् उद्देश्य के लिए कुछ महापुरूषों ने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का महान् कार्य किया। मैंने भी इस कार्य में सहयोग करना अपना दायित्व समझा, और 10 अप्रैल 1989 को मधेपुरा महाविद्यालय, मधेपुरा, कौशल्या–ग्राम मधेपुरा (बिहार) की सथापना की।

यहाँ अधिकांश छात्रों के पास संसाधन की कमी है जिसके कारण उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसे उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए महाविद्यालय की स्थापना वरदान साबित हुई। यथासंभव प्रयास मैं करता रहता हूँ कि शिक्षा के दोनों स्वरूप पारम्परिक और व्यवसायिक पाठ्यकमों का लाभ छात्रों को इच्छानुकूल एवं क्षमतानुसार मिल सके। वर्तमान में यहाँ B.A., B.Sc.,B.Com पास एवं प्रतिष्ठा, BBA, BCA, B.Sc (BIO-TECH) के अलावे B.Ed. जैसे पाठ्यकमों का संचालन हो रहा है। कई अन्य पाठ्यकमों को प्रारम्भ करने के लिए प्रयासरत हैं। महाविद्यालय परिसर में कई संस्थाएँ चल रही है। कुछ प्रस्तावित भी है।

उर्जावान शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सहयोग से महाविद्यालय बेहतर संचालन के साथ प्रगति कर रहा है। हमारी कोशिश है कि महाविद्यालय के सभी छात्रों को रोजगार मिले। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र स्व रोजगार विकसित करने हेतु समर्थ बने। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल कार्यकम चलाया जा रहा है। हमारी प्रतिबद्धता है कि छात्रों को इतना कौशल सम्पन्न बनावें कि विभिन्न कम्पनियाँ कैम्पस सलेक्सन के लिए आएँ। इससे छात्रों के लिए अवसर का नया द्वार खुलेगा।

PROSPECTUS

महाविद्यालय शासी निकाय

(1)	श्री सत्यनारायण यादव (दाता)	–	अध्यक्ष
(2)	अनुमंडल पदाधिकारी	–	सदस्य
(3)	श्री नंदकिशोर यादव	–	सचिव
(4)	डा0 उदय कृष्ण (विश्वविद्यालय प्रतिनिधि)	–	सदस्य
(5)	चन्द्रशेखर (वि0 प0 स0) जनप्रतिनिधि	–	सदस्य
(6)	श्री सच्चिदानंद यादव (शिक्षक प्रतिनिधि)	–	सदस्य
(7)	डा0 अशोक कुमार (प्रधानाचार्य)	–	पदेन सदस्य

महाविद्यालय फेकेल्टी

स्नातक कला (पास एवं प्रतिष्ठा)	–	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, परशियन, बंगला, इतिहास, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, संगीत, गणित, भूगोल, दर्शनशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, सांख्यिकी, मानवशास्त्र एवं ड्रामा।
स्नातक विज्ञान (पास एवं प्रतिष्ठा)	–	भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जन्तु विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं सांख्यिकी।
स्नातक वाणिज्य (पास एवं प्रतिष्ठा)	–	अनिवार्य विषयों में।

व्यवसायिक पाठ्यक्रम

पत्रांक – G/S (D/R(A)-43/11) 1445/13

B.C.A.	-	60 (साठ स्थान)
B.B.A.	-	30 (तीस स्थान)
BIO-Tech	-	30 (तीस स्थान)
Professional Course : B.Ed.	-	100 (एक सौ स्थान)

प्रवेश सम्बन्धी नियम

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्र/छात्राओं को उपलब्ध निर्देशिका में संलग्न आवेदन/नामांकन प्रपत्र को निर्दिष्ट रूप से भरकर यथासमय कार्यालय में जमा करना है।

प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित फोटो प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जाए । चयन के पश्चात् नामांकन के लिए निर्धारित तिथि को प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।

1. कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र
2. अंक पत्र
3. बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र
4. पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र
5. चरित्र प्रमाण–पत्र
6. पासपोर्ट आकार के तीन नये फोटो

महाविद्यालय के विभिन्न वर्गों में प्रवेश के लिए स्थानों की संख्या निर्धारित है। अतः चयन, अंकों के आधार पर अथवा जाँच परीक्षा के आधार पर ही किया जाता है। चयनित प्रवेशार्थियों की तालिका महाविद्यालय के सूचना–पट्ट पर प्रकाशित की जाती है। ऐसे प्रवेशार्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश (नामांकन) प्राप्त कर लें। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ सरकारी नियमानुसार लागू है। प्रवेश के लिए विहित आवेदन–पत्र सहित निर्देशिका को डाक द्वारा निर्धारित शुल्क देकर भी प्राप्त की जा सकती है। चयन की सूचना डाक द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य के नाम प्रेषित पत्र के साथ निर्धारित डाक टिकट लगा लिफाफा जिस पर अपना पता सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा हो, संलग्न करना होगा। नामांकन के समय ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अथवा विश्वविद्यालय में कमशः सूचीकरण या पंजीयन के लिए विहित आवेदन पत्र भरकर निर्धारित शुल्क के साथ कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करना होगा। स्नातक कक्षा में छात्र/छात्रा को पंजीयन के निमित्त प्रवजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में पंजीयन तिथि प्रकाशित होने पर भी पंजीयन एवं शुल्क जमा कर सकते है। प्रत्येक नामांकित छात्र/छात्रा के लिए महाविद्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र अपने पास रखना आवश्यक होगा। प्रवेश के लिए मनोनीत प्रभारी प्राध्यापक की उपस्थिति में ही छात्र/छात्रा को अपने छाया–चित्र पर स्पष्ट अक्षरों में अपने हस्ताक्षर एवं अपेक्षित विवरण स्वयं भरने होंगे जिनका सत्यापन संबंधित प्रभारी/प्राध्यापक के हस्ताक्षर के द्वारा होगी।

विद्यार्थियों के लिए पहचान–पत्र अत्यंत उपादेय है। पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्ति, एन0 सी0 सी0 एन0 एस0 एस0 में चयन एवं यूनीफार्म की प्राप्ति, महाविद्यालय पत्रिका की प्राप्ति, मनोरंजन–कक्ष से खेल सामग्रियों की प्राप्ति, महाविद्यालय कार्यालय एवं बैंक से स्कॉलरशिप, स्टाइपेण्ड या अन्य किसी भुगतान की प्राप्ति, रेलवे एवं सिनेमा घरों से रियायती दरों पर टिकट की प्राप्ति, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के उत्सवों में प्रवेश और महाविद्यालय, काउन्सिल एवं विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए पहचान–पत्र दिखाना आवश्यक है।

द्रष्टव्य : अनुषांगिक विषयों में अध्ययन के लिए निम्न प्रतिबन्ध लागू होंगे :
जिस विषय का चयन 'प्रतिष्ठा' के रूप में किया गया हो, उस विषय का अध्ययन अनुषांगिक में नही किया जा सकता है। भाषा या साहित्य विषय में 'प्रतिष्ठा' रखने वाले छात्र अनुषांगिक विषय के रूप में किसी भाषा एवं साहित्य विषय का चयन नहीं कर सकते हैं। समाज शास्त्र विषय में प्रतिष्ठा रखने वाले छात्र मनोविज्ञान विषय का चयन अनुषांगिक विषय के रूप में नहीं कर सकते । इसी प्रकार, मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के छात्र अनुषांगिक में समाज शास्त्र नहीं रख सकते । इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास, किसी एक विषय में प्रतिष्ठा रखने वाले छात्र अनुषांगिक के रूप में किसी दूसरे का अध्ययन नहीं कर सकते । गणित एवं भूगोल विषयों का चयन एक साथ प्रतिष्ठा एवं अनुषांगिक के रूप में नहीं किया जा सकता है।
जिन छात्रों ने इन्टरमीडिएट परीक्षा (विज्ञान अथवा वाणिज्य) संकाय में द्वितीय श्रेणी प्राप्त की हो, वे स्नातक कला 'प्रतिष्ठा' में किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं किन्तु गणित में 'प्रतिष्ठा' के प्रवेषार्थी छात्र को इन्टरमीडिएट स्तर पर गणित विषय होना चाहिए। गणित के अतिरिक्त प्रतिष्ठा के ऐसे छात्रों को संबंधित विषय में इण्टर की परीक्षा पास करनी होगी इसी तरह भूगोल से इन्टर उत्तीर्ण छात्र ही भूगोल प्रतिष्ठा रख सकते है।

सामान्य विषय

प्रथम एवं द्वितीय खण्ड

इन्टरमीडिएट स्तर पर कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त विषय में छात्र स्नातक स्तर में प्रतिष्ठा रख सकते है। प्रतिष्ठा विषय के दो पत्र स्नातक प्रथम एवं स्नातक द्वितीय, दोनों खंडों में निर्धारित है जिनमें सैद्धान्तिक पत्र 75–75 अंकों के और प्रायोगिक पत्र 25–25 अंकों के होंगे।

अनुशांगिक विषय

'प्रतिष्ठा' के विषय के अतिरिक्त छात्र को अनुषांगिक विषयों का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक पत्र 100 अंकों का होगा जिसमें सैद्धांन्तिक 75 अंकों का तथा प्रायोगिक 25 अंकों का होगा।
प्रतिष्ठा के विषय अनुषांगिक विषयों के रूप में प्रतिष्ठा के विषय के सामने अंकित विषय चयन कर सकते है।

भौतिकी	:	गणित एवं रसायन शास्त्र
भौतिकी	:	गणित एवं सांख्यिकी
रसायन शास्त्र		**भौतिकी एवं गणित**
रसायन शास्त्र		वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान
वनस्पति शास्त्र	:	जन्तु विज्ञान एवं रसायन शास्त्र
जन्तु विज्ञान	:	वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र
गणित	:	भौतिकी एवं रसायन शास्त्र
गणित	:	भौतिकी एवं सांख्यिकी
सांख्यिकी		भौतिकी एवं गणित
भूगर्भशास्त्र	:	भौतिकी एवं रसायन शास्त्र

(वाणिज्य संकाय) :

ऐच्छिक विषय स्नातक सामान्य प्रथम एवं द्वितीय खण्ड प्रथम खण्ड

निम्नांकित तीन विषयों का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक विषय में एक ही पत्र और 100–100 अंकों का होगा कुल 300 अंक

व्यापार संगठन एवं पद्धति वित्तीय लेखा विधि अर्थशास्त्र के सिद्धान्त द्वितीय खण्ड

प्रथम खण्ड के समान ही तीन विषयों का अध्ययन होगा। प्रत्येक विषय में एक ही पत्र होगा जो 100 अंकों का रहेगा – कुल 300 अंक।

व्यापार कानून मुद्रा एवं बैंकिंग योजना एवं आर्थिक विकास

नोट :– जिन छात्रों ने इन्टरमीडिएट कला अथवा विज्ञान की परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत सर्वयोग के साथ उत्तीर्णता प्राप्त की हो, वे भी स्नातक प्रथम खंड के वाणिज्य संकाय में नामांकन करा सकते हैं।

(वाणिज्य संकाय) ऐच्छिक विषय स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड

जो छात्र जिस वाणिज्य समूह/विषयों के समूह में 'प्रतिष्ठा पढ़ना चाहते हैं, उन्हे उस समूह में इन्टरमीडिएट स्तर पर कम–से–कम 45 प्रतिशत अंक अव य होना चाहिए।

इन्टरमीडिएट कला अथवा विज्ञान की परीक्षा में 50 प्रतिशत सर्वयोग के साथ उतीर्णता प्राप्त छात्र भी स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम खण्ड बी0 कॉम पार्ट 1 में नामांकन करा सकते हैं।

वाणिज्य 'प्रतिष्ठा' में अध्ययन हेतु निम्नांकित समूहों में से किसी एक समूह का चयन करना है। प्रत्येक का एक–एक पत्र 100–100 अंका होगा।

लेखा समूह

प्रतिष्ठा (प्रथम पत्र – वित्तीय लेखा)
प्रतिष्ठा (द्वितीय पत्र – अंकेक्षण)
सब्सीडियरी विषय (प्रत्येक पत्र 10–100 अंकों का)
व्यापार संगठन एवं पद्धति
अर्थशास्त्र के सिद्धान्त

प्रशासन समूह

प्रतिष्ठा (प्रथम पत्र) – व्यापार संगठन एवं पद्धति
प्रतिष्ठा (द्वितीय पत्र) – कम्पनी लेखा
अनुषांगिक पत्र (प्रत्येक पत्र 100–100 अंकों का)
वित्तीय लेखा पद्धति
अर्थशास्त्र के सिद्धान्त

बी0 कॉम

ग्रुप ए0 एवं ग्रुप बी0 में से जिस ग्रुप का चयन प्रथम खण्ड में किया गया हो, उसी ग्रुप का चयन द्वितीय खण्ड में किया जा सकता है। इस खण्ड में भी प्रतिष्ठा विषय के दोनों पत्र 100–100 अंकों के होंगे। अनुषांगिक के भी दोनों पत्र 100–100 अंकों के होंगे।

ग्रुप ए0 : लेखा समूह प्रतिष्ठा (तृतीय पत्र) – व्यापार नियम प्रतिष्ठा (चतुर्थ पत्र)–विशिष्ट लेखा पद्धति
अनुषांगिक पत्र मुद्रा एवं बैंकिंग योजना एवं आर्थिक विकास त्रि–वर्षीय स्नातक

तृतीय खण्ड पार्ट 3 के लिए अध्ययन के विषय :

कला संकाय सामान्य

प्रथम एवं द्वितीय खण्ड में पढ़े गये तीन वैकल्पिक विषयों के तृतीय पत्र 100–100 अंकों के – कुल 300 अंक

सामान्य अध्ययन –100 अंक

प्रतिष्ठा पत्र :

प्रथम एवं द्वितीय खण्ड में लिये गये प्रतिष्ठा के विषय में पंचम, षष्ठम, सप्तम एवं अष्टम पत्र। सभी 100–100 अंकों का कुल चार पत्र 400 अंकों के।

नोट : गृह विज्ञान, मनोविाान ,भूगोल में 100 अंकों का प्रायोगिक तथा संगीत में 200 अंको का प्रायोगिक होता है। इतिहास प्रायोगिक विषयों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक का अंक अलग–अलग है, जो विषय विभागाध्यक्ष से पता चलेगा।

सामान्य अध्ययन – 100 अंक (प्रतिष्ठा के चार पत्रों के अतिरिक्त)

विज्ञान संकाय–सामान्य

प्रथम एवं द्वितीय खण्ड में पढ़े गये तीनों विषयों के तृतीय पत्र 100–100 अंकों के कुल 300 अंक। प्रत्येक विषय का तृतीय पत्र सैद्धान्तिक 75 अंक एवं प्रायोगिक 25 अंक।

सामान्य अध्ययन एक पत्र 100 अंक।

प्रतिष्ठा

प्रथम एवं द्वितीय खण्ड में लिए गए प्रतिष्ठा के विषय के पंचम, षष्ठ, सप्तम एवं अष्टम् पत्र। प्रत्येक 100 अंकों का कुल 400 अंक। अष्टम् पत्र प्रायोगिक होगा।

सामान्य अध्ययन : एक पत्र 100 अंक।

वाणिज्य संकाय – सामान्य

अनिवार्य विषय : व्यावसायिक सांख्यिकी एवं व्यावसायिक गणित – एक पत्र 100 अंक।

ऐच्छिक विषय : निम्नांकित ऐच्छिक विषय समूह में एक समूह। प्रत्येक दो विषय का। कुल 200 अंक।

ग्रुप

उच्च लेखा

अंकेक्षण

प्रबंधन

औद्योगिक सम्बन्ध

बैकिंग के सिद्धान्त

भारत में बैंकिग

बीमा के सिद्धान्त

भारत में बीमा

सामान्य अध्ययन – एक पत्र 100 अंक

वाणिज्य प्रतिष्ठा

प्रथम एवं द्वितीय खण्ड में प्रतिष्ठा ग्रुप के अध्ययन के अनुरूप पंचम, षष्ठम, सप्तम एवं अष्टम पत्र। परिनियम में निर्धारित चार पत्र। प्रत्येक पत्र 100 अंक का कुल 400 अंक ।

त्रि–वर्षीय स्नातक पाठ्य–क्रम के लिए ध्यान देने योग्य बातें।

यह एक समेकित त्रि–वर्षीय पाठ्य–क्रम है। प्रतिष्ठा एवं पास पाठ्य–क्रम तीन–तीन वर्षों के होंगे। प्रत्येक वर्ष के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा संचालित की जाएगी। तीनों खण्डों की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही श्रेणी/वर्ग के साथ परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय खंडों में प्रोन्नति का प्रावधान है। तृतीय खण्ड में प्रोन्नति के लिए प्रथम खण्ड में विशविद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रोन्नति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर संशोधित विनियम लागू होंगे । किसी भी परीक्षाओं के प्राप्तांक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नहीं होने की स्थिति में क्रॉस–लिस्ट के आधार पर महाविद्यालय से विहित/निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

शुल्क सम्बन्धी नियम :

प्रत्येक माह अध्ययन–शुल्क सूचना में निर्दिष्ट राशि के अनुसार लिया जायगा। निर्धारित तिथियों को शुल्क नहीं जमा करने पर अर्थ–दण्ड लिया जा सकता है।

शुल्क एवं परीक्षा–प्रपत्र काउन्टर पर जमा करने का समय निम्नवत है :

10 : 30 बजे से 1 बजे तक रविवार तथा अवकाश के दिनों को छोड़कर

शनिवार को 10 : 30 बजे से 11 :30 बजे तक ।

छात्र/छात्राएँ शुल्कादि पंक्तिबद्ध होकर काउन्टर क्लर्क के पास जमा करें।

शुल्क जमा करने के पश्चात् काउण्टर से रसीद लेना न भूलें।

सूचित तिथियों को छोड़कर किसी भी तिथि अथवा समय पर शुल्कादि/परीक्षा प्रपत्र/पंजीयन प्रपत्र/सूचीकरण प्रपत्र /स्वतंत्र परीक्षार्थी के लिए अनुमति प्रपत्र जमा करने के लिए प्राधानाचार्य की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

इन्टरमीडिएट वर्गो में प्रवेश के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित सूचीकरण शुल्क जमा करना होगा।

स्नातक वर्गों में प्रवेश के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करना होगा।

विज्ञान के छात्र/छात्राओं के लिए नामांकन के समय प्रयोगशाला शुल्क जमा करना आवश्यक है।

स्नातक भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत एवं गृह विज्ञान के छात्रों को भी प्रयोगशाला शुल्क जमा करना होगा।

प्रयोगशाला शुल्क से टूट–फूट की राशि काटकर ही भोष राशि लौटाई जाएगी।

प्रवजन शुल्क देय होगी।

महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र शुल्क कक्षा के अनुरूप लिया जायेगा। स्थानान्तरण शुल्क भी कक्षा के अनुरूप लिया जाता है।

संकाय/विषय परिवर्तन, जिसमें प्रतिष्ठा पाठ्य–क्रम में परिवर्तन भी शामिल है। इसके लिए निर्धारित शुल्क देकर कराया जा सकता है। ऐसा कोई परिवर्तन सत्र प्रारम्भ होने के तीन महीने के अन्दर ही संभव हो सकेगा। इन्टरमीडिएट काउन्सिल/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कॉस लिस्ट के आधार पर प्रमाणिक अंक–पत्र प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करना होता है।
चरित्र/व्यक्तिगत प्रमाण–पत्र के लिए भी शुल्क लिया जाता है। झंडा दिवस का शुल्क 5 रू0 लिया जाता है।

महाविद्यालय पुस्तकालय :

पुस्तकालय सामान्यतया प्रत्येक कार्य–दिवस को प्रधानाचार्य द्वारा निर्देशित कार्य–काल में खुला रहता है। महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र/छात्रा ही पुस्तकालय की सदस्यता के अधिकारी हैं।
पुस्तकों के निर्गम की सीमा निर्धारित है :–
शिक्षकों के लिए – एक माह।
शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए – एक सप्ताह
छात्र/छात्राओं के लिए – पन्द्रह दिन।
छात्र/छात्राओं को एक बार में अधिकतम दो पुस्तकें निर्गत की जाएगीं। इच्छित पुस्तक उसकी उपलब्धता पर निर्भर करेगी। स्कंध पंजी के आधार पर मांगी गयी पुस्तक निर्गत की जाती है।

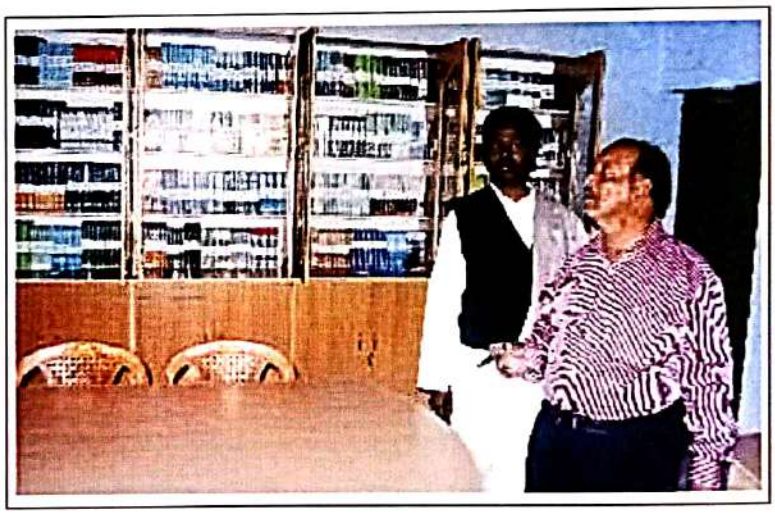

निर्धारित तिथि के पश्चात् लौटाने पर प्रति पुस्तक 1 रू0 प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड शुल्क जमा करना होगा। किसी पुस्तक के खोने की स्थिति में उस पुस्तक की नयी प्रति खरीद कर देनी होगी या पुस्तक का ढाई गुणा मूल्य जमा करना होगा। पुस्तक को क्षतिग्रस्त करने पर नयी पुस्तक देनी होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि छात्र पुस्तक निर्गत कराने के समय उसकी वर्तमान स्थिति की ओर पुस्तकाध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करें।
अपना परिचय–पत्र दिखाकर छात्र पुस्तकालय–पत्रक प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय–पत्रक खो जाने की स्थिति में द्वितीयक पुस्तकालय पत्र प्राप्त करने के लिए 10 रू0 शुल्क के साथ प्रधानाचार्य को आवेदन देना होगा। पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र/छात्रा को पुस्तकालय पत्रक के साथ अपना परिचय पत्र भी लाना आवश्यक होगा। कोई भी सन्दर्भ ग्रंथ निर्गत नहीं किया जायेगा। पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकें किसी दूसरे को हस्तांतरित करना वर्जित है। पुस्तकों के पृष्ठों को मोड़ना, उन पर किसी प्रकार का निशान लगाना और कहीं भी कुछ लिखना या पृष्ठों को फाड़ना निषेद्य है। पुस्तकालय में प्रवेश के पूर्व वैग, छाता या निजी पुस्तकों आदि

प्रवेश द्वार पर जमा करना आवश्यक है। वाचनालय में अध्ययनार्थ ली गयी पुस्तकें, पत्र–पत्रिका आदि उसी दिन वाचनालय बन्द होने के पूर्व जमा करना आवश्यक है। परिषद/विश्वविद्यालय परीक्षा प्रपत्र भरने तथा महाविद्यालय से स्थानानतरण प्रमाण–पत्र लने के पूर्व सभी निर्गमित पुस्तकें वापस करना एवं 'कुछ देय नहीं' लेना आवश्यक है। पुस्तकालय में भान्ति एवं अनुशासन रखना आवश्यक है नियम भंग करने वाले छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय के उपयोग की सुविधा से वंचित किया जा सकता है। छात्र पुस्तकालय से संबंधित कोई शिकायत/सुझाव प्रभारी प्राध्यापक/प्रधानाचार्य के समक्ष लिखित या मौखिक रख सकते हैं। महाविद्यालय में पुस्तक अधिकोष की स्थापना का प्रस्ताव है। इसकी स्थापना होने पर छात्रों को एक सत्र के लिए कुछ पुस्तके ऋण स्वरूप दी जाएगी।

परीक्षा विभाग

महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर आयोजित परीक्षाओं के अतिरिक्त परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएँ परीक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।
परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में यदि अन्य महाविद्यालयों का भी केन्द्र इस महाविद्यालय में होता है। तो संबंधित महाविद्यालय के छात्रों को भी अपेक्षित जानकारियाँ, परीक्षा विभाग देता है।
75 प्रतिशत व्याख्यान एवं अनुशीलन वर्गों को पूरा करने पर ही सामान्यतया छात्रों को परिषद/विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।
परिषद/विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रपत्र भरने के समय पुस्तकालय, संबंधित प्रयोगशालाओं, एन0सी0सी0, खेल–कूद प्रभारी (पी0 टी0 आई0) आदि से प्राप्त प्रस्तुत करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0 सी0 सी0)

छात्रों को प्रारंभिक सैन्य शिक्षा प्रदान करने एवं उनके आत्म–निर्भरता, स्वानुशासन, सहयोग एवं नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के साथ ही देश–भक्ति एवं राष्ट्रीयता के गुणों को जागृत करने के उद्धेश्य से नेशनल कैडेट कोर (एन0 सी0 सी0) का गठन किया गया है।
महाविद्यालय में छात्रों की सुविधा हेतु राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक कम्पनी कार्यरत है। महाविद्यालय के छात्र एवं छात्रा दोनों इस कम्पनी में अपना नामांकन करवा सकते हैं। 30 प्रतिशत सीट छात्राओं के लिए आरक्षित है। एन0 सी0 सी0 में नामांकन के लिए

छात्र / छात्राओं को महाविद्यालय के लेफ्टीनेन्ट प्रो0 गौतम कुमार से सम्पर्क करना चाहिए। एन0 सी0 सी0 के माध्यम से कैडेटों को तीन वर्षों तक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता हैं दो वर्षों के प्रशिक्षण के उपरान्त बी0 प्रमाण–पत्र तथा तीन वर्षों के बाद सी0 प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता हैं इसके लिए कैडेटो को विभिन्न तरहों के कैम्पों में सम्मिलित होना पड़ता हैं एन0 सी0 सी0 के बी0 तथा सी0 प्रमाण–पत्र के बाद प्रमाण–पत्र धारियों को विभिन्न सेवाओं में नौकरियों के लिए विशेष सुविधा दी जाती हैं अभी सेना में सी प्रमाण–पत्र धारियों को स्नातक में 50 प्रतिशत अंक लाने पर सी0 डी0 ए0 में लिखित परीक्षा से छूट दी जाती है तथा सैनिकों की भर्ती में भी छूट दी जाती हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

छात्र–छात्राओं के बीच सामुदायिक भावना तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए तीन राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई कार्यरत है। इसमें इच्छुक छात्र–छात्रायें अपना नामांकन करवाकर इससे लाभान्वित हो सकते हैं। नामांकन के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

निःशुल्कता, निर्धन छात्र कोष एवं छात्रवृत्ति

परिषद्/विश्वविद्यालय परीक्षा प्रपत्र भरने के पूर्व महाविद्यालय द्वारा निःशुल्कता के लिए विहित प्रपत्र में छात्र/छात्राओं से निर्धारित तिथि तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र भर देने मात्र से निःशुल्कता का दावा नहीं किया जा सकता। नियमानुसार निःशुल्कता विभिन्न वर्गों में नामांकित छात्रों के कुछ प्रतिशत को ही दी जाती है। सामान्यता निःशुल्कता का आधार निर्धनता, पूर्व परीक्षाओं के प्राप्तांक, व्याख्यान का प्रतिशत, आचरण एवं अंतर्वीक्षा है। अंतर्वीक्षा प्रधानाचार्य द्वारा गठित निःशुल्कता कमिटी द्वारा ली जाती है। अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, विकलांग मोमिन समुदाय एवं पिछड़ा वर्ग सूची–1 के छात्रों को कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति मिलती है जिसके लिए विहत प्रपत्र में यथासमय आवेदन–पत्र समर्पित करना होता है।

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मेधाविता–सह–निर्धनता छात्रवृत्ति निम्न आय वर्ग छात्रवृत्ति एवं ऋण छात्रवृत्ति दी जाती है जिसके लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित तिथि तक एक निर्देशित प्रपत्र में महाविद्यालय के माध्यम से आवेदन करना होता है। ऋण छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए पिछली परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होना चाहिए। छात्रवृत्तियों का भुगतान बैंक के माध्यम से होता है जिसके लिए छात्रों को बैंक में एकाउण्ट (खाता) रखना पड़ता है। इन्सपायर छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्श 60,000(साठ हजार) रू0 सरकार द्वारा दी जाती है। छात्रवृत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित कार्यालय सहायक से प्राप्त की जा सकती है।

नोट :– निःशुल्कता एवं छात्रवृत्ति का लाभ साथ–साथ नहीं मिलता है।

समय–सारणी

नियमित रूप से वर्ग–संचालन हेतु महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर वर्ग तालिका प्रकाशित की जाती है, जिसके अनुरूप शिक्षकों द्वारा वर्ग संचालित किये जाते हैं। नामांकन के पश्चात् छात्र आवश्क रूप से अपने वर्गों की जानकारी वर्ग–तालिका से ले लें।

वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों के वर्ग सामान्यतः प्रातः कालीन पाली में संचालित होते हैं। सभी संकायों में वर्ग अप्रील के प्रथम सप्ताह से जून तक प्रातः कालीन पाली में ही चलते हैं। महाविद्यालय कार्यालय की अवधि 10 : 30 बजे पूर्वाह् है। प्रातः कालीन पाली में पुस्तकालयावधि 8 बजे से 12 बजे है।

साइकिलशेड

साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल का उपयोग करने वालों के लिए महाविद्यालय में साइकिल भोड की व्यवस्था है। भोड में प्रतिनियुक्त कर्मचारी से 'टोकन' लेकर ही साइकिल या वाहन रखे जा सकते हैं। महाविद्यालय परिसर में जहाँ–तहाँ साइकिल या वाहन रखना अशोभनीय एवं दण्डनीय हैं। निर्धारित स्थान पर साइकिल या वाहन न रखने की स्थिति में खो जाने की जिम्मेदारी महाविद्यालय की नहीं होगी। भोड में साइकिल रखने वाले प्रत्येक छात्र के द्वारा प्रतिमाह 25.00 रूपये की दर से शुल्क देय होगा। इस शुल्क की रसीद दिखाने पर ही साइकिल रखी जाएगी।

रेलवे रियायत

निकटवर्ती स्थानों से प्रतिदिन ट्रेन द्वारा यात्रा पर महाविद्यालय आने वाले छात्रों के लिए 'सिजन टिकट' महाविद्यालय द्वारा रेलवे से उपलब्ध प्रपत्र के आधार पर संबंधित स्टेशनों से दिये जाते हैं। दूरवर्ती छात्रों के लिए लम्बी छुट्टियों के अवसर पर रियायती दर पर रेलवे टिकट महाविद्यालय से विहित प्रपत्र भरकर प्राप्त किये जा सकते हैं। भारतीय रेल, शैक्षिक यात्रा के लिए अति रियायती दरों पर टिकट की सुविधा उपलबध कराती है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए छात्रों के समूह के साथ एक प्राध्यापक का रहना आवश्यक है।

महाविद्यालय उत्सव :

प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को महाविद्यालय स्थापना दिवस मनायी जाती है। इन अवसरों पर विचार गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ–साथ वार्षिक खेल–कूद समारोह का भी आयोजन किया जाता है।

खेल-कूद

छात्रों के लिए महाविद्यालय में खेल-कूद की व्यवस्था है। खेलों में अभिरूचि रखने वाली छात्रों को समूह में खेल प्रभारी/पी० टी० आई० के द्वारा खेल सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय खेलों/टूर्नामेन्ट्स आदि में भाग लेने वाले छात्रों को खेल पदाधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए। फुटबॉल, बालीबॉल, किकेट, बैडमिन्टन, कैरम, शतरंज, खो-खो, म्युजिकल चेयर गेम आदि खेल विशेष रूप से आयोजित होते हैं।

वाद-विवाद परिषद्

महाविद्यालय में एक वाद-विवाद समिति है। प्रभारी प्राध्यापक समय-सयम पर सामयिक, शैक्षिक एवं ज्वलंत राष्ट्रीय विषयों पर वाद-विवाद आयोजित किये जाते हैं। अन्तरविश्वविद्यालय एवं अर्न्राज्यीय वाद-विवाद प्रतियोगिता में भी छात्र भाग ले सकते हैं। श्रेष्ठ भौक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ नेतृत्व की क्षमता भी वाद-विवाद में भाग लेने से छात्रों में विकसित होती है।

महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय परिवार के विचारों कीसंवाहिका के रूप में महाविद्यालय पत्रिका 'रचना श्री' का प्रकाशन स्थापना दिवस के अवसर पर किया जाता है। शिक्षकों एवं छात्रों के अतिरिक्त विशिष्ट विद्वानों की रचनाएँ भी इसमें प्रकाशित होती है। छात्रों की प्रतिभा एवं रचना भाक्ति को विकसित करने के लिए पत्रिका एक उपयुक्त माध्यम है।

R&S PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

ROY & SONS (P&D)

R.K. Complex, (Infront of Kali Mandir) Langar Toli, Patna -4

छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट किये गये अभिभावक का पता बदल जाने की स्थिति में परिवर्तन की सूचना अविलम्ब महाविद्यालय कार्यालय को देनी चाहिए। आवेदन–पत्र भरने से पूर्व विषय–समूह का चयन अन्तिम रूप से कर लिया जाना चाहिए। बाद में विषय परिवर्तन से पाठ्य–क्रम एवं उपस्थिति का प्रतिशत पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। इन्टरमीडिएट कक्षाओं में केवल प्रथम वर्ग एवं त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्य–क्रम के प्रथम खण्ड में प्रारंभ के छः माह तक ही विषय–परिवर्तन की अनुमति विहित प्रकिया द्वारा दी जा सकती है। परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क देनी होगी।

निर्धारित पाठ्य–क्रम

इन्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए

10+2 के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों का चयन किया जा सकता है :–

भाषा समूह : हिन्दी, अंग्रेजी, मैथिली, उर्दू एवं संस्कृत भाषा समूह में से एक भाषा साहित्य का चयन अनिवार्य होगा।

हिन्दी 50 अंक एवं अंग्रेजी, मैथिली, उर्दू में से कोई एक 50 अंक का अनिवार्य

वैकल्पिक विषय :

गणित, भौतिक, रसायन, जीवन विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, विजनेशस्टडीज, एकाउन्टेन्सी, इन्टरप्रेनरशीप।

उपरोक्त वैकल्पिक विषयों में से तीन विषयों का चयन छात्र अपने इच्छानुसार कर सकते है।

त्रिवर्षीय स्नातक कक्षाओं के लिए निर्धारित

अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय :

1. **अनिवार्य विषय** : (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय)
   सामान्य एवं प्रतिष्ठा (प्रथम एवं द्वितीय खण्ड)
   भाषा एवं साहित्य – एक पत्र
   हिन्दी (हिन्दी भाषियों के लिए) – 100 अंक
   अथवा
   हिन्दी (अहिन्दी भाषियों के लिए) – 50 अंक
   मातृभाषा (मैथिली, उर्दू, अंग्रेजी में कोई एक) – 50 अंक
   तृतीय खण्ड में भाषा एवं साहित्य के स्थान पर 100 अंकों का सामान्य अध्ययन।
   ऐच्छिक विषय – (कला संकाय – स्नातक सामान्य)
   प्रथम एवं द्वितीय खंड
   तीन विषयों के एक–एक पत्र का अध्ययन आवश्यक है। प्रत्येक विषय का प्रत्येक पत्र 100 अंकों का होगा। सैद्धांतिक पत्र 75 अंकों के एवं प्रायोगिक 25 अंकों के होंगे। प्रायोगिक विषयों में केवल संगीत विषय में सैद्धान्तिक 50 अंकों का तथा प्रयोगिक 50 अंकों का होगा।

विषय समूह निम्न प्रकार है :-

अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भाषा एवं साहित्य (हिन्दी / उर्दू / मैथिली / अंग्रेजी / संस्कृत)
अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन भाास्त्र, प्राचीन इतिहास
समाज शास्त्र,मनोविज्ञान, भाषा एवं साहित्य, भूगोल
राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मानवशास्त्र
अर्थशास्त्र, समाज भाास्त्र, राजनीति शास्त्र, संगीत
समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान (या प्राचीन भा0 इतिहास)
समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भाषा एवं साहित्य
अथशास्त्र, गणित, भूगोल / श्रम एवं समाज कल्याण
इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र
अर्थशास्त्र / मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र / भूगोल
श्रम एवं समाज कल्याण, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र / मनोविज्ञान
भूगोल, श्रम एवं समाज कल्याण, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति,
ग्रामीण अर्थशास्त्र

ऐच्छिक विषय (कला संकाय) :

स्नातक 'प्रतिष्ठा' प्रथम एवं द्वितीय खण्ड

इण्टरमीडिएट स्तर पर कम–से–कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही किसी विषय में प्रतिष्ठा पाठ्य–क्रम के लिए प्रवेश दिया जा सकता है।

प्रथम एवं द्वितीय, दोनों खण्डों में 'प्रतिष्ठा' विषय के दो–दो पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र 100 अंकों का होगा। प्रयागोगिक विषयों के प्रत्येक खण्ड में सैद्धान्तिक के दो पत्र 75–75 अंक के होंगे और प्रायोगिक 25–25 अंक के होंगे।

प्रतिष्ठा के विषय :-

अपने फार्म में देना है। हिन्दी, अंग्रेजी, मैथिली, संस्कृत, उर्दू, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, भूगोल, गणित और मानवशास्त्र ।

अनुषांगिक विषय

इस पाठ्य–क्रम के लिए छात्र 'प्रतिष्ठा' विषय के साथ उक्त विषयों में से दो विषयों का चयन (स्नातक प्रथम खण्ड एवं स्नातक द्वितीय खण्ड में) अनुषांगिक विषयों के रूप में करेंगे। प्रत्येक खण्ड में प्रत्येक विषय 100 अंकों का होगा।